विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल ....
कुल निर्मित क्षेत्र ....
क्रीड़ास्थल का क्षेत्रफल ....
कक्षाओं की संख्या ....
प्राध्यापक सह कार्यालय सह–भंण्डागार के लिए कक्ष ....
बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथ्क शौचालय ....
पेयजल सुविधा ....
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई ....
बाधा रहित पहुंच अध्यापक पठन सामग्री / क्रीड़ा खेल–कूल उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता..
....

9. विद्यालय के परिसरों की भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलायी जाएगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा एवं कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह य संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टटेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 11845-5872 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपबन्धों के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. मान्यता के शर्तो का पालन न किये जाने अथवा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आने पर नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही अधोस्ताक्षरी के द्वारा की जायेगी।

(हरिहर प्रसाद)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलरामपुर। 30/03/19

पृ0सं0:बे0शि0 / जू0हा0मान्यता / / 2019–20, दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी(बे0शि0) बलरामपुर।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।
6. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।
7. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद–बलरामपुर।
8. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलरामपुर।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,बलरामपुर।

पत्रांकः–बे0शि0/जू0हा0मान्यता/ 11145-58 (07) /2019–20 दिनांकः– 30.03.2019

सेवा में,

प्रबन्धक,
एम0जे0 एक्टिविटि, ग्राम लालगंज पोस्ट उतरौला,
जनपद–बलरामपुर।

विषयः– शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18 एस (7)/89 दिनांक 08 मई 2013 में निहित निर्देशानुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम–15 के उप नियम–4 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके विद्यालय की नर्सरी से कक्षा 08 तक उच्च प्राथमिक स्तर (अंग्रेजी माध्यम) की मान्यता हेतु प्राप्त पत्रावली पर खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी की जांच/संस्तुति उपरान्त सन्दर्भित पत्रावली मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक,(बेसिक) देवीपाटन मण्डल, गोण्डा की अध्यक्षता में गठित मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मान्यता समिति द्वारा सन्दर्भित पत्रावली में जांच अधिकारी की आख्या/संस्तुति के आधार पर मान्यता समिति की बैठक में लिये निर्णय के अनुसार विद्यालय को नर्सरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) की मान्यता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति की गयी।

अतः आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं, प्रबन्धक, एम0जे0 एक्टिविटि, ग्राम लालगंज पोस्ट उतरौला, जनपद–बलरामपुर। (विद्यालय का नाम पते सहित) को नर्सरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने के लिए संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित के पूरा किये जाने के अध्याधीन है–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विच्छित नही है।
2. विद्यालय के निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 (उपबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2010 (उपबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में (या यथा स्थिति नर्सरी से कक्षा 05 में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक पास–पड़ोस कमजोर वर्गों और सुविधि विहीन समूह के बालिकाओं को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उप धारा (2) उपबन्धों के अनुसार प्रति पूरित किया जायेगा। ऐसे प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/ विद्यालय किसी कैपिटेशन शुक्ल का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक व उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नही करेगा और यह अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करेगा–
   (क) प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को विद्यालय में इसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
   (ख) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नही किया जायेगा।
   (ग) उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
   (घ) उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   (ड़) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
   (च) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हताएं नही है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हताएं अर्जित करेगें।
   (छ) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है और
   (ज) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापक क्रिया कलापों में नियोजित नही करेगें।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी। प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–